न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00035 (35/2019) 225 आरटीएक्ट

रामी पुत्री श्योलाल पत्नी रतनाराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. दौलतराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी 18 जी0जी0 गोविन्दपुरा हाल वार्ड नं0 5 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी दासुवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. बनवारीलाल पुत्र श्योलाल जाट निवासी दासुवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सरिया पुत्र श्योलाल पत्नी पृथ्वीराम जाति जाट निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. विमला पुत्री श्योलाल पत्नी मनफूलराम जाति जाट निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. केसर पुत्री श्योलाल पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. सुरजा देवी पुत्री श्योलाल पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गुड्‌डी पत्नी बगड़ावत जाति जाट निवासी चक [illegible] एन.डब्ल्यू. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. कृष्ण पुत्र बगड़वत जाति जाट निवासी चक 1 एन.एन.डब्ल्यू. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. भागीरथ पुत्र बगड़ावत जाति जाट निवासी चक 1 एन.एन.डब्ल्यू. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. कमला पुत्री बगड़ावत पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 1 एन.एन.डब्ल्यू. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. सीता पुत्री बगड़ावत पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी चक 1 एन.एन.डब्ल्यू. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर। —— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर, दिनांक 28.02.2019 प्रकरण संख्या 10/2019 बअनवानी रामी बनाम दौलतराम आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री अशोक भादू अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट सं0 1 की ओर से

निर्णय दिनांक – 26.02.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि चक 9 एसपीएम के प. नं. 33/28 व 33/29 की कुल 24 बीघा भूमि श्योलाल वल्द लेखु जाति जाट की थी। श्योलाल का देहान्त हो गया है। वादीया ने दावा में वादीया व प्रतिवादी नं0 4 ता 7 बहिस्सा बराबर 58 हिस्सा के व प्रतिवादी नं0 8 ता 12 बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी नं0 1 अकेला 2/8 [illegible] मुश्तर्का खातेदार काश्तकार घोषित करने खाता व लगान अलग अलग कायम [illegible] एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा घोषित करने एवं [illegible] नं0 1 के पक्ष में निष्पादित विभिन्न बैयनामों को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सं0 1 दौलतराम ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए कथन किया हस्तगत वाद में अर्न्तवलित कृषि भूमि पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही वाद सं0 24/06 में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है इसलिए हस्तगत वाद में प्राड्न्याय (Res-Judicata) का सिद्धान्त लागू होता है। वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्यों के आधार वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि पूर्व का वाद सुरजादेवी बनाम दौलतराम 24/2006 वादीया की बहिन सुरजा देवी द्वारा प्रस्तुत किया था जो खारिज होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील 127/2007 सुरजा देवी द्वारा प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की गई। जिससे व्यथित होकर दौलतराम ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 4107/2012 प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलाण्टा रामीदेवी उपस्थित नहीं थी। राजस्व मण्डल में राजीनामा सुरजा देवी ने पेश किया था। न्यायालय ने दिनांक 16.08.2018 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के यहां रिमाण्ड कर दिया जिस पर सुरजा देवी ने वाद नोटप्रेस में खारिज करवा लिया जो गुणागवुण पर निर्णित नहीं हुआ था। इसलिए अपीलाण्टा द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। सुरजा देवी व दौलतराम ने आपस में दुर्भिसंधी कर अपीलाण्ट का हक हिस्सा खत्म करने की नियत से नोट प्रेस में वाद खारिज करवाया है। प्रकरण में तथ्यात्मक व कानूनी दोंनों बिन्दू मिश्रित हैं। वाद अपीलाण्टा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व में पारित निर्णय अपीलाण्ट की सुनवाई करके पारित नहीं किया गया था। अपीलाण्टा को नोटिस नहीं गया एवं एकपक्षीय कार्यवाही सम्पादित की गई है। राजस्व मण्डल के समक्ष अपना राजीनामा प्रसतुत करके सुरजा देवी को अपीलाण्टा के अधिकार समाप्त करने के कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2018 आरआरडी पेज 132, 2002 आरआरडी पेज 532, 2015 (सुप) सीसीसी पेज 595 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादीया की बहन सुरजादेवी ने एक राजस्व वादपत्र पूर्व में प्रस्तु किया जिसमे रामीदेवी को पक्षकार बनाया था। उक्त वाद का निर्णय दिनांक 10.12.2017 को मानीनीय न्यायालय द्वारा वादपत्र साबित नहीं हाने तथा कलीन हैण्ड से नहीं होने के आधार पर वाद खारिज फरमाया था। अपीलाण्ट को पूर्व के निर्णय दिनांक 10.12.2017 का पूर्व में ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने असद्भावनापूर्वक वाद पेश किया है पूर्व वाद का अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है। इसलिए हस्तगत वाद में प्राडन्याय (Res-Judicata) का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलाण्टा राजस्व मण्डल में सुरजीदेवी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का विरोध कर सकती थी। उसके द्वारा उस समय कोई विरोध नहीं किया। पूर्व के वाद में अपीलाण्ट ने अनुतोष प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया वह काउण्टर क्लेम पेश कर सकती थी और मौजूदा प्रकरण में वांछित अनुतोष उस प्रकरण में प्राप्त कर सकती थी। पूर्व पूर्ववर्ती वाद में अपीलाण्ट द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने से पूर्व वर्ती वाद पत्र खारिज होने से वादिया इस वाद कारण पर नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिणी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने धारा 8[illegible] 88 आर.टी.एक्ट. में वाद पेश किया था जो विचारण न्यायालय ने इस आधार [illegible] खारिज किया है कि वादीया रामी ने पूर्ववर्ती वाद में वादिया द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने से पूर्ववती वादपत्र खारिज होने से वादिया अब उसी वाद कारण पर नया वादपत्र प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

से वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क विधि सम्मत है कि वादिया पूर्ववर्ती वादपत्र में बतौर सुरजी देवी व वर्तमान वाद की वादिया रामी का अपने पिता की भूमि मके सम्बन्ध में अपने अधिकारों के सम्बन्ध में एक ही वाद कारण रहा है। वादिया रामी पूर्ववर्ती वादपत्र में काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र थी लेकिन उसने यह अवसर प्राप्त नही किया । पूर्ववर्ती वाद में वादीया रामी देवी द्वारा सुरजीदेवी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास नही किया गया है। वाद पत्र में याचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए वह स्वतन्त्र थी। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हम ऐसी कोई विधि त्रूटि नही पाते हैं जिसके आधार पर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

7. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार हो, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

26/2/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested